

July 2016

B. A. LL. B. Eighth Semester Examination

ALTERNATE DISPUTE RESOLUTION

Paper V

Time 3 Hours]

[Max. Marks 80

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं । दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिये 60 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति है ।

Answer any five questions. All questions carry equal marks. The blind candidates will be given 60 minutes extra time.

1. मध्यस्थ्य की परिभाषा बताइए तथा मध्यस्थ्य के स्वरूप तथा क्षेत्र का वर्णन कीजिए । क्या न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना मध्यस्थ्य संभव है ?
✓ Define Arbitration and discuss the nature and scope of arbitration. Is a arbitration possible without intervention of court ?
2. माध्यस्थ्य और सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत कौन से विवाद माध्यस्थ्य के लिए निर्देशित किये जा सकते हैं ?
Which disputes may be referred for arbitration under Arbitration and Conciliation Act, 1996 ?
3. मध्यस्थ्य की नियुक्ति को चुनौती किन आधारों पर दी जा सकती है ? चुनौती देने की प्रक्रिया क्या है ?
✓ What are the grounds on which appointment of Arbitrator may be challenged ? What procedure is prescribed for it ?
4. माध्यस्थ्य और सुलह अधिनियम के अन्तर्गत साक्ष्य लेने में न्यायालय की सहायता सम्बन्धी प्रावधानों की विवेचना कीजिए ।
Discuss the provisions regarding court assistance in taking evidence under Arbitration and Conciliation Act.
5. सुलहकर्ता की नियुक्ति एवं सुलह कार्यवाही को समझाइए ।
✓ Explain the appointment of Conciliator and Conciliation Proceedings.
6. सुलहकर्ता की क्या भूमिका होती है ? क्या सुलहकर्ता दीवानी प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए बाध्य है ?
What is the role of Conciliator ? Whether a conciliator is bound to follow the provisions of Code of Civil Procedure and Evidence Act ?
7. विदेशी पंचाट एवं घरेलू पंचाट में अन्तर कीजिए । विदेशी पंचाट को लागू करने की शर्तों को बताइए ।
Distinguish between Foreign Award and Domestic Award. Describe the conditions for enforcement of Foreign Award.
8. अनुकल्पी विवाद निपटारा पद्धतियों की आवश्यकता एवं सम्भावनाओं की व्याख्या कीजिए ।
✓ Explain the necessity and possibilities of Alternative Dispute Resolution System.
9. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए ।
Describe the constitution and function of National Legal Service Authority.
10. निम्नलिखित में से किन्हीं दो के मध्य अन्तर बताइए :
(अ) माध्यस्थ्य एवं न्याय निर्णय ।
(ब) मध्यस्थ्यता एवं माध्यस्थ्य ।
(स) माध्यस्थ्य एवं सुलह ।
Distinguish between any two of the following :
(a) Arbitration and Adjudication.
(b) Mediation and Arbitration.
(c) Arbitration and Conciliation.